सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ऑन लाईन नं. RCMS 2013/00112

न्यायालय : अति0 जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर।
पीठासीन अधिकारी : डा. गुंजन सोनी, आर0ए0एस0
निगरानी प्रकरण सं0 30/2017

1. रामसिंह पुत्र गुरजंट सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
2. हरदेव सिंह पुत्र सुरजीत सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
3. हरजीत सिंह पुत्र जरनैल सिंह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)
4. रणजीत सिंह पुत्र साधु सिह जाति जटसिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर, जिला श्रीगंगानगर (राज.)

निगरानीकर्ता

बनाम

1. ग्राम पंचायत बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर, जरिये सरपंच।
2. लाभ सिंह पुत्र मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
3. तेजकौर पत्नी मल सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
4. जसवीर कौर पत्नी मेजर सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
5. मनजीत कौर पत्नी स्व. गुरराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
6. अमनदीप कौर पुत्री स्व. गुरराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
7. सतवीर कौर पत्नी स्व. गुरराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
8. कुलवीर कौर पत्नी स्व. गुरराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।
9. बलकरण सिंह पुत्र स्व. गुरराज सिंह जाति जटसिख निवासी गांव बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर।

गैरनिगरानीकर्ता

उपस्थित :
1. श्री दलबार सिंह बराड़ अधिवक्ता निगरानीकर्ता
2. श्री मोहनलाल माहर अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता 2 ता 9
3. अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत अनुपस्थित

:: आदेश :: **दिनांक :– 12.02.2020**

प्रस्तुत निगरानी का सार संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत बनवाली का आदेश खिलाफ कानून, खिलाफ वाकेयात एक तरफा मिसल पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित है। चक बनवाली में अप्रार्थी संख्या 02 के पास पहले से ही तीन प्लाट मौजूद है जिनमें वह व उसका परिवार मकान बनाकर अर्सा दराज से रह रहा है और वह किसी प्रकार से अब अपने नाम से ग्राम पंचायत से भूखण्ड आवंटन करवाने का अधिकारी नहीं है, परन्तु

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

सरपंच ग्राम पंचायत के साथ मिली भगत कर उस द्वारा खाली पड़ा भूखण्ड को अपना पुराना कब्जा दिखाकर गलत तौर पर ग्राम पंचायत से नियमन करवाकर पट्टा जारी करवाया गया है। ग्राम पंचायत का विकय विलेख दिनांक 21.07.2009 कानून के खिलाफ व पंचायत एक्ट के दिये गये प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है क्योंकि जिस भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत से पुराना कब्जा बताकर नियमन किया गया है वहां उसका कभी भी कब्जा नहीं रहा वहां जगह मौका पर खाली पड़ी है जहां पर निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी बनछठिया व रूड़ी गोबर आदि डालते है और कब्जा निगरानीकर्तागण के पास है, परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नियमों के विपरित जाकर जो आवंटन किया है वह निरस्त करने योग्य है। ग्राम पंचायत का विकय विलेख इसलिये भी गलत है क्योंकि मलसिंह का कभी भी इस विकय विलेख की जगह पर कब्जा नहीं रहा और दूसरा पंचायत कानून के तहत नियमन पुराने मकानो पर कब्जे के आधार पर ही किया जा सकता है। परन्तु इस केस में तो मौका पर कोई भी मकान या कब्जा नहीं है बल्कि खाली जगह पड़ी है इसलिये ग्राम पंचायत नियमन की कार्यवाही नहीं कर सकती। विकय विलेख ग्राम पंचायत द्वारा जो जारी किया गया है उसमें कोई भी प्लाट का नम्बर अंकित नहीं है इस तरह से भी किस जगह को ग्राम पंचायत द्वारा नियमन किया गया है यह स्पष्ट नहीं है अगर कोई खाली प्लाट ग्राम पंचायत के पास पड़ा था तो उसकी नियमानुसार बोली करवायी जाकर ही यह प्लाट अधिकतम बोली वाले व्यक्ति को ही नियमानुसार आवंटन किया जा सकता था। निगरानीकर्तागण को 23.03.2013 को अप्रार्थी मलसिंह द्वारा यह कहा गया कि आप अपनी बनछटियां उठा लो यह भूखण्ड मेरे को आवंटन है और मेरे नाम से भुखण्ड आवंटन किया हुआ है और मै अब इस पर चारदिवारी करूंगा और हमारी बनछटियां व रूड़ीयां जबरदस्ती हटा दी और इस तरह निगरानीकर्तागण द्वारा इस बात का पता किया तो पता चला कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर दिनांक 21.07.2009 को अपने हक में विकय विलेख जारी करवा रखा है और उसकी नकल दिनांक 25.03.2013 को प्राप्त कर ईल्म से अन्दर मियाद निगरानी पेश की जा रही है और दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 06.07.2009 एवं विकय विलेख दिनांक 21.07.2009 निरस्त फरमाया जावें।

निगरानी से संबंधित रेकार्ड तलब किया गया। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए अपनी बहस में कथन किया कि चक बनवाली में अप्रार्थी संख्या 02 के पास पहले से ही तीन प्लाट मौजूद है जिनमें वह व उसका परिवार मकान बनाकर अर्सा दराज से रह रहा है और वह किसी प्रकार से अब अपने नाम से ग्राम पंचायत से भूखण्ड आवंटन करवाने का अधिकारी नहीं है, परन्तु सरपंच ग्राम पंचायत के साथ मिली भगत कर उस द्वारा खाली पड़ा भूखण्ड को अपना पुराना कब्जा दिखाकर गलत तौर पर ग्राम पंचायत से नियमन करवाकर पट्टा जारी करवाया गया है। ग्राम पंचायत का विकय विलेख दिनांक 21.07.2009 कानून के खिलाफ व पंचायत एक्ट के दिये गये प्रावधानों के विपरित होने के कारण निरस्त होने योग्य है क्योंकि जिस भूखण्ड को अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा ग्राम पंचायत से पुराना कब्जा बताकर नियमन किया गया है वहां उसका कभी भी कब्जा नहीं रहा। ग्राम पंचायत बनवाली द्वारा **राजस्थान पंचायती राज अधिनियम की धारा 157 " पुराने गृहो का विनियमितीकरण"** की पालना नहीं की है। उक्त जगह मौका पर खाली पड़ी है जहां पर निगरानीकर्तागण द्वारा अपनी बनछठिया व रूड़ी गोबर आदि डालते है और कब्जा निगरानीकर्तागण के पास है। गैरनिगरानीकर्ता मलसिंह का कभी भी इस विकय विलेख की जगह पर कब्जा नहीं रहा और दूसरा पंचायत कानून के तहत नियमन पुराने मकानो पर कब्जे के आधार पर ही किया जा सकता है। परन्तु इस केस में तो मौका पर कोई भी मकान या कब्जा नहीं है बल्कि खाली जगह पड़ी है इसलिये ग्राम पंचायत नियमन की कार्यवाही नहीं कर सकती। विकय

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन)
श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner

विलेख ग्राम पंचायत द्वारा जो जारी किया गया है उसमें कोई भी प्लाट का नम्बर अंकित नहीं है इस तरह से भी किस जगह को ग्राम पंचायत द्वारा नियमन किया जा सकता अगर कोई खाली प्लाट ग्राम पंचायत के पास पड़ा था तो उसकी नियमानुसार बोली करवायी जाकर ही यह प्लाट अधिकतम बोली वाले व्यक्ति को ही नियमानुसार आवंटन किया जा सकता था। निगरानीकर्तागण को 23.03.2013 को गैरनिगरानीकर्ता मलसिंह द्वारा यह कहा गया कि आप अपनी बनछटियां उठा लो यह भूखण्ड मेरे को आवंटन है और मेरे नाम से भुखण्ड आवंटन किया हुआ है और मै अब इस पर चारदिवारी करूंगा और हमारी बनछटियां व रूड़ीयां जबरदस्ती हटा दी और इस तरह निगरानीकर्तागण द्वारा इस बात का पता किया तो पता चला कि अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत से मिलीभगत कर दिनांक 21.07.2009 को अपने हक में विक्रय विलेख जारी करवा रखा है और उसकी नकल दिनांक 25.03.2013 को प्राप्त कर ईल्म से अन्दर मियाद निगरानी पेश की जा रही है और दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र अलग से पेश किया जा रहा है। अतः निगरानी स्वीकार कर ग्राम पंचायत का प्रस्ताव संख्या 1दिनांक 06.07.2009 एवं विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2009 निरस्त फरमाया जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि निगरानीकर्ता द्वारा करीब 4 वर्ष बाद निगरानी पेश की है जो मियाद बाहर है। अतः इसे मियाद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावें। गैरनिगरानीकर्ता को ग्राम पंचायत बनवाली द्वार प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 06.07.2009 एंव विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2009 द्वारा खाली पड़े भूखण्ड मेरा पुराना कब्जा होने के कारण नियमन करवाकर जो पट्टा जारी किया गया है वह विधि सम्मत है। अतः निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बनवाली का प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 06.07.2009 एवं विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2009 को बहाल रखा जावें।

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा निम्न नजीर पेश की गई :–

1. डीएनजे (राज0) 2005 (2) पेज– 797– 803

अधिवक्ता गैरनिगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत नजीर उक्त प्रकरण में चस्पा नहीं होती है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि ग्राम पंचायत बनवाली द्वारा प्रस्ताव सख्या 01 दिनांक 06.07.2009 एवं विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2009 जारी करते समय पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 **" पुराने गृहो का विनियमितीकरण"** की पालना नहीं की गई है क्योंकि गैरनिगरानीकर्ता को प्रस्ताव सख्या 01 दिनांक 06.07.2009 एवं विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2009 द्वारा खाली जगह का पट्टा जारी किया गया है जबकि पंचायत राज अधिनियम की धारा 157 के तहत पुराने गृह के कब्जे का नियमन किया जा सकता है। अतः ग्राम पंचायत बनवाली का प्रस्ताव सख्या 01 दिनांक 06.07.2009 एवं विक्रय विलेख दिनांक 21.07.2009 विधि सम्मत् नहीं होने के कारण खारिज किये जाने योग्य है। फलस्वरूप निगरानीकर्ता की निगरानी स्वीकार की जाती है। आदेश की प्रति मय रेकॉर्ड ग्राम पंचायत को भेजा जावें।

आदेश आज दिनांक 12.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डा. गुंजन सोनी)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner